

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II-खण्ड 3-उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 290]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 30, 2014/ ज्येष्ठ 9, 1936

No. 290]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 30, 2014/JYAISTHA 9, 1936

भारतीय रिज़र्व बैंक

(विदेशी मुद्रा विभाग)

(केंद्रीय कार्यालय)

अधिसूचना

मुंबई, 22 मई, 2014

विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (पांचवां संशोधन) विनियमावली, 2014

सा.का.िन. 371(अ).—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम,1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उपधारा (3) के खंड (बी) और धारा 47 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2000 (3 मई, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा. 20/2000-आरबी) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :—

(ए) ये विनियम विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (पांचवां संशोधन) विनियमावली, 2014 कहलाएंगे।

2242 GI/2014 (1)

(बी) वे सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. अनुसूची 5 में संशोधन :—

विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2000 (3 मई, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा. 20/2000-आरबी) में, अनुसूची 5 में,

- (ए) पैराग्राफ 1 में, मौजूदा खंड (के) के बाद और मौजूदा परंतुक से पहले, निम्नलिखित अंतनिर्हित किया जाएगा, अर्थात्:—
 - "(एल) इस विनियमावली के विनियम 7(2) के अनुसार जारी सूचीबद्ध अपरिवर्तनीय/मोचनीय अधिमानी शेयर अथवा डिबेंचर।"
- (बी) पैराग्राफ 1ए में, खंड (v) में, उप-खंड (एच) के बाद, निम्नलिखित अंतनिर्हित किया जाएगा, अर्थात् :—
 "(आई) इस विनियमावली के विनियम 7(2) के अनुसार जारी सूचीबद्ध अपरिवर्तनीय/मोचनीय अधिमानी
 शेयर अथवा डिबेंचर।"
- (**सी**) पैराग्राफ 1बी में, खंड (iii) में, उप-खंड (जे) के बाद, निम्नलिखित अंतनिर्हित किया जाएगा, अर्थात् :—
 - "(के) इस विनियमावली के विनियम 7(2) के अनुसार जारी सूचीबद्ध अपरिवर्तनीय/मोचनीय अधिमानी शेयर अथवा डिबेंचर।"
- (**डी**) पैराग्राफ 1सी में, खंड (1) में, उप-खंड (के) के बाद, निम्नलिखित अंतनिर्हित किया जाएगा, अर्थात् :—
 "(एल) इस विनियमावली के विनियम 7(2) के अनुसार जारी सूचीबद्ध अपरिवर्तनीय/मोचनीय अधिमानी शेयर अथवा डिबेंचर।"
- (अ) पैराग्राफ 2 में,
- (ए) खंड (1ए) में, उप-खंड (iv) के बाद, निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—
 - "(v) इस विनियमावली के विनियम 7(2) के अनुसार जारी सूचीबद्ध अपरिवर्तनीय/मोचनीय अधिमानी शेयर अथवा डिबेंचर।"
- (बी) खंड (2) में, निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—
 - "कोई अनिवासी भारतीय, विनियम 7(2) के अनुसार जारी सूचीबद्ध अपरिवर्तनीय/मोचनीय अधिमानी शेयर अथवा डिबेंचर, अप्रत्यावर्तनीय आधार पर, बिना किसी सीमा के खरीद सकता है।"

[सं. फेमा. 304/2014-आरबी] सी.डी. श्रीनिवासन, मुख्य महाप्रबंधक

पाद टिप्पणी :-

मूल विनियमावली 8 मई 2000 के जी.एस.आर. संख्या 406 (अ) द्वारा सरकारी राजपत्र के भाग II, खंड 3, उप खण्ड (i) में प्रकाशित और बाद में निम्नानुसार संशोधित की गयी :—

सा.का.नि. सं. 158(अ), दिनांक 02.03.2001

सा.का.नि. सं. 175(अ), दिनांक 13.03.2001

सा.का.नि. सं. 182(अ), दिनांक 14.03.2001

सा.का.नि. सं. 4(अ), दिनांक 02.01.2002

सा.का.नि. सं. 574(अ), दिनांक 19.08.2002

सा.का.नि. सं. 223(अ), दिनांक 18.03.2003

सा.का.नि. सं. 225(अ), दिनांक 18.03.2003

सा.का.नि. सं. 558(अ), दिनांक 22.07.2003

सा.का.नि. सं. 835(अ), दिनांक 23.10.2003

सा.का.नि. सं. 899(अ), दिनांक 22.11.2003

सा.का.नि. सं. 12(अ), दिनांक 07.01.2004

सा.का.नि. सं. 278(अ), दिनांक 23.04.2004

सा.का.नि. सं. 454(अ), दिनांक 16.07.2004

सा.का.नि. सं. 625(अ), दिनांक 21.09.2004

सा.का.नि. सं. 799(अ), दिनांक 08.12.2004

सा.का.नि. सं. 201(अ), दिनांक 01.04.2005

सा.का.नि. सं. 202(अ), दिनांक 01.04.2005

सा.का.नि. सं. 504(अ), दिनांक 25.07.2005

सा.का.नि. सं. 505(अ), दिनांक 25.07.2005

सा.का.नि. सं. 513(अ), दिनांक 29.07.2005

सा.का.नि. सं. 738(अ), दिनांक 22.12.2005

सा.का.नि. सं. 29(अ), दिनांक 19.01.2006

सा.का.नि. सं. 413(अ), दिनांक 11.07.2006

सा.का.नि. सं. 712(अ), दिनांक 14.11.2007

सा.का.नि. सं. 713(अ), दिनांक 14.11.2007

सा.का.नि. सं. 737(अ), दिनांक 29.11.2007

सा.का.नि. सं. 575(अ), दिनांक 05.08.2008

सा.का.नि. सं. 896(अ), दिनांक 30.12.2008

सा.का.नि. सं. 851(अ), दिनांक 01.12.2009

सा.का.नि. सं. 341 (अ), दिनांक 21.04.2010

सा.का.नि. सं. 821 (अ), दिनांक 10.11.2012

सा.का.नि. सं. 606 (अ), दिनांक 03.08.2012

```
सा.का.नि. सं. 795 (अ), दिनांक 30.10.2012
सा.का.नि. सं. 796(अ), दिनांक 30.10.2012
सा.का.नि. सं. 797 (अ), दिनांक 30.10.2012
सा.का.नि. सं. 945 (अ), दिनांक 31.12.2012
सा.का.नि. सं. 946 (अ), दिनांक 31.12.2012
सा.का.नि. सं. 38 (अ), दिनांक 22.01.2013
सा.का.नि. सं. 515 (अ), दिनांक 30.07.2013
सा.का.नि. सं. 532 (अ), दिनांक 05.08.2013
सा.का.नि. सं. 341 (अ), दिनांक 28.05.2013
सा.का.नि. सं. 344 (अ), दिनांक 29.05.2013
सा.का.नि. सं. 195 (अ), दिनांक 01.04.2013
सा.का.नि. सं. 393 (अ), दिनांक 21.06.2013
सा.का.नि. सं. 591 (अ), दिनांक 04.09.2013
सा.का.नि. सं. 596 (अ), दिनांक 06.09.2013
सा.का.नि. सं. 597 (अ), दिनांक 06.09.2013
सा.का.नि. सं. 681 (अ), दिनांक 11.10.2013
सा.का.नि. सं. 682 (अ), दिनांक 11.10.2013
सा.का.नि. सं. 805 (अ), दिनांक 30-12-2013
सा.का.नि. सं. 818 (अ), दिनांक 31-12-2013
सा.का.नि. सं. 683 (अ), दिनांक 11.10.2013
सा.का.नि. सं. 189 (अ), दिनांक 19.03.2014
सा.का.नि. सं.
            190 (अ), दिनांक 19.03.2014
सा.का.नि. सं. 270 (अ), दिनांक 07.04.2014
```

RESERVE BANK OF INDIA

(Foreign Exchange Department)

(CENTRAL OFFICE)

NOTIFICATION

Mumbai, the 22nd May, 2014

Foreign Exchange Management (Transfer or issue of Security by a Person Resident outside India) (Fifth Amendment) Regulations, 2014

G.S.R. 371(E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (3) of Section 6 and Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank of India hereby makes the following amendments in the Foreign Exchange Management (Transfer or issue of security by a person resident outside India) Regulations, 2000 (Notification No. FEMA.20/2000-RB, dated May 3, 2000), namely:—

1. Short Title & Commencement

- (a) These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Transfer or issue of Security by a Person Resident outside India) (fifth Amendment) Regulations, 2014.
- (b) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Amendment to Schedule 5

In the Foreign Exchange Management (Transfer or issue of security by a person resident outside India) Regulations, 2000 (Notification No.FEMA.20/2000-RB dated May 3, 2000), in Schedule 5,

- (A) in paragraph 1, after the existing clause (k) and before the existing proviso, the following shall be inserted, namely:-
 - "(l) listed non-convertible/redeemable preference shares or debentures issued in terms of Regulation 7 (2) of these Regulations."
 - (B) in paragraph 1A, in clause (v), after sub-clause (h), the following shall be inserted, namely:-
 - "(i) listed non-convertible/redeemable preference shares or debentures issued in terms of Regulation 7 (2) of these Regulations."
 - (C) in paragraph 1B, in clause (iii), after sub-clause (j), the following shall be inserted, namely:-
 - "(k) listed non-convertible/redeemable preference shares or debentures issued in terms of Regulation 7 (2) of these Regulations."
 - (D) in paragraph 1C, in clause (1), after sub-clause (k), the following shall be inserted, namely:-
 - "(l) listed non-convertible/redeemable preference shares or debentures issued in terms of Regulation 7 (2)of these Regulations."
 - (E) in paragraph 2,
 - (a) in clause (1A), after sub-clause (iv), the following shall be added, namely:-
 - "(v) listed non-convertible/redeemable preference shares or debentures issued in terms of Regulation 7 (2) of these Regulations."
 - (b) in clause (2) the following shall be added, namely:-
 - "A Non-resident Indian may, without limit, purchase on non-repatriation basis, listed non-convertible/redeemable preference shares or debentures issued in terms of Regulation 7 (2) of these Regulations."

[No. FEMA/304/2014-RB] C.D.SRINIVASAN, Chief General Manager

Foot Note:-

The Principal Regulations were published in the Official Gazette vide G.S.R. No.406 (E) dated May 8, 2000 in Part II, Section 3, Sub-section (i) and subsequently amended as under :—

G.S.R.No. 158(E) dated 02.03.2001

G.S.R.No. 175(E) dated 13.03.2001

G.S.R.No. 182(E) dated 14.03.2001

- G.S.R.No. 4(E) dated 02.01.2002
- G.S.R.No. 574(E) dated 19.08.2002
- G.S.R.No. 223(E) dated 18.03.2003
- G.S.R.No. 225(E) dated 18.03.2003
- G.S.R.No. 558(E) dated 22.07.2003
- G.S.R.No. 835(E) dated 23.10.2003
- G.S.R.No. 899(E) dated 22.11.2003
- G.S.R.No. 12(E) dated 07.01.2004
- G.S.R.No. 278(E) dated 23.04.2004
- G.S.R.No. 454(E) dated 16.07.2004
- G.S.R.No. 625(E) dated 21.09.2004
- G.S.R.No. 799(E) dated 08.12.2004
- G.S.R.No. 201(E) dated 01.04.2005
- G.S.R.No. 202(E) dated 01.04.2005
- G.S.R.No. 504(E) dated 25.07.2005
- G.S.R.No. 505(E) dated 25.07.2005
- G.S.R.No. 513(E) dated 29.07.2005
- G.S.R.No. 738(E) dated 22.12.2005
- G.S.R.No. 29(E) dated 19.01.2006
- G.S.R.No. 413(E) dated 11.07.2006
- G.S.R.No. 712(E) dated 14.11.2007
- G.S.R.No. 713(E) dated 14.11.2007
- G.S.R.No. 737(E) dated 29.11.2007
- G.S.R.No. 575(E) dated 05.08.2008
- G.S.R.No. 896(E) dated 30.12.2008
- G.S.R.No. 851(E) dated 01.12.2009
- G.S.R.No. 341 (E) dated 21.04.2010
- G.S.R.No.821 (E) dated 10.11.2012
- G.S.R.No. 606(E) dated 03.08.2012
- G.S.R.No. 795(E) dated 30.10.2012
- G.S.R.No. 796(E) dated 30.10.2012
- G.S.R. No. 797(E) dated 30.10.2012
- G.S.R. No.945(E) dated 31.12.2012
- G.S.R. No.946(E) dated 31.12.2012

- G.S.R. No.38(E) dated 22.01.2013
- G.S.R.No.515(E) dated 30.07.2013,
- G.S.R.No.532(E) dated 05.08.2013,
- G.S.R. No.341(E) dated 28.05.2013
- G.S.R.No.344(E) dated 29.05.2013
- G.S.R. No.195(E) dated 01.04.2013
- G.S.R.No.393(E) dated 21.06.2013,
- G.S.R.No.591(E) dated 04.09.2013
- G.S.R.No.596(E) dated 06.09.2013
- G.S.R.No.597(E) dated 06.09.2013
- G.S.R.No.681(E) dated 11.10.2013
- G.S.R.No.682(E) dated 11.10.2013
- G.S.R. No.818 (E) dated 31.12.2013
- G.S.R.No.805(E) dated 30.12.2013
- G.S.R.No.683(E) dated 11.10.2013
- G.S.R.No.189(E) dated 19.03.2014
- G.S.R.No.190(E) dated 19.03.2014
- G.S.R.No.270(E) dated 07.04.2014